



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sua@yahoo.co.in Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक: ९ 33 / अकादमिक / अ.म. / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक १०/10/2019

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में वाणिज्य संकायांतर्गत व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंध विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) कोई नहीं

(2) कोई नहीं

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्री भारत लाल कँवर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कोई नहीं

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री सैयद साबिर अली
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
होली क्रॉस वूमन्स कॉलेज,
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. जसप्रीत कौर
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय,
डिगमा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।



NSC

क्रमांक: 02

Scanned with CamScanner


(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्री भारत लाल कँवर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (चार) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 934/अकादमिक/अ.म./2019
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक 18/10/2019

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।




सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
अम्बिकापुर



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(संत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sgu.ac.in Phone: - 07774-222789, Fax: - 07774-222791

क्रमांक ११ / अकादमिक / अ.न. / अर्थशास्त्र / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 21/09/2019

अधिसूचना

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में समाज विज्ञान संकायांतर्गत अर्थशास्त्र विषय के लिए अध्यापन बांड का गठन (संवैधानिक) निम्नानुसार किया जाता है :

28 (2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) कु. रजनी सेठिया
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय,
चिरमिरी जिला - कोरिया (छ.ग.)

2 डॉ. (श्रीमती) क्रेसेंसिया टोप्पो
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
सीतापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

डॉ. प्रेमलता एक्का
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलसिला जिला सूरजपुर (छ.ग.)

2 कु. रश्मि पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
अरुण प्रताप सिंह जी शासकीय महाविद्यालय,
शंकरगढ जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

क्रमशः 02

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कि जायेंगे

(1) डॉ. (श्रीमती) किरण श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय,
डिगना अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
ज्ञानकेतु कला महाविद्यालय
डेकुमठपुर जिला-संखिया (छ.ग.)

(छ) उक्त विद्यार्थी का अधिनियम न अधिकृत की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।

(सात) वह सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषय के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा।

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा डॉ. (श्रीमती) क्रैसेंसिया टोप्पो, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारा दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

Gandhi

कुलसचिव

सं. क्रमांक: 808/ अकादमिक / अ.म. / अर्थशास्त्र / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 21/09/19

प्रतिलिपि -

- 1 कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 2 समस्त संबंधित सदस्यगण।
- 3 सहायक कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 4 विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
- 5 अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 6 सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 7 सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 8 जो इस सूचनाएं एवं आदेशक कार्यवाही हेतु
- 9 कार्यवाही के लिये

Asst. Secy

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)


ds

अधिसूचना


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वशासी योजना से संबंधित निर्देशिका में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर के विभिन्न विषयों के विषय-विशेषज्ञों में निम्नानुसार विषय विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है। इनका कार्यकाल इस सूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा।


विषय-विशेषज्ञ	विषय विशेषज्ञों का नाम एवं पता	पद
अध्यक्ष	1. डॉ. एस.के. याजपेयी, विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
सदस्य	<u>विभाग के शिक्षक</u> 1. डॉ. ए.के. गौर, 2. डॉ. शम्भू तिवारी, 3. श्री सुनील कुमार अग्रवाल, 4. श्री आशुतोष कौशिक, 5. यू. रश्मि कौर,	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सदस्य	<u>विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत:-</u> 1. प्रो. नागेश्वर राय, कुलपति, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।	सदस्य
सदस्य	<u>एकेडमिक परिषद द्वारा मनोनीत:-</u> 1. डॉ. अनेन्द्र शुक्ला, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय डी.पी. कन्या महावि, रायपुर छ.ग.। 2. डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य, नवयुग महाविद्यालय, जवलपुर, म0प्र0।	सदस्य सदस्य
सदस्य	<u>प्राचार्य द्वारा मनोनीत मेधावी छात्र :-</u> 1. श्री आशीष कौशिक, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, सूरजपुर, छ.ग.।	सदस्य


निर्देशक
स्वशासी परीक्षाएं


प्राचार्य
रा.गा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 23/08/2019

प्रक्रमांक : 20/15/स्वशासी/अ.ग./2019
प्रतिलिपि-
1. संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनाार्थ।


निर्देशक
स्वशासी परीक्षाएं


प्राचार्य
रा.गा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर